संख्या– 955 / VI / 2016–6(13)2005.T.C-I

प्रेषक,

सूर्य मोहन नौटियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

श्री शर्मा
30.12.16

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग **देहरादून : दिनांक : 30 दिसम्बर, 2016**

विषय :–उत्तराखण्ड के भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–768 / विभा0यो0पत्रा (भाग–2) / 2015–16, दिनांक 17 सितम्बर, 2016 के सन्दर्भ में पूर्व में प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, सम्यक् विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–429 / VI-1/2015-6(13)/2005, दिनांक 17 नवम्बर, 2008 को अधिक्रमित करते हुए राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को प्रत्येक माह वित्तीय आर्थिक सहायता निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र.सं	प्रतियोगिता / चैम्पियनशिप	पदक / प्रतिभाग करने वाले भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता हेतु दी जाने वाली धनराशि (₹ में)	
1	2	3	
		पदक विजेता	प्रतिभाग
1	ओलम्पिक खेल	10,000.00	7,500.00
		पदक / प्रतिभाग	
2	विश्व कप / विश्व चैंम्पियनशिप	7,000.00	
3	एशियन गेम्स	7,000.00	
4	कॉमनवेल्थ गेम्स	6,500.00	
5	एफ्रो–एशियन खेल	6,000.00	
6	सैफ खेल	5,500.00	
7	पैरा ओलम्पिक / स्पेशल ओलम्पिक (अन्तर्राष्ट्रीय) मानसिक / शारीरिक विकलांग खिलाड़ी	5,000.00	
8	विश्व मैराथन शारीरिक / मानसिक (विकलांग) / पैरा ओलम्पिक	4,500.00	
9	अन्तर्राष्ट्रीय वेटरन (मास्टर) चैम्पियनशिप	4,000.00	

2– आर्थिक सहायता ऐसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों, जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो, को जीवनपर्यन्त दी जायेगी।

3– जो कहीं अन्य सेवायोजित न हों अथवा जिनकी निजी साधनों से होने वाली आय **₹ 20,000.00 (₹ बीस हजार प्रतिमाह) से अधिक न हो।**

4– खेल निदेशालय द्वारा उक्तानुसार आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा, जिसके कम में आवेदनकर्ता द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्रों (जन्म तिथि, आय, खेलों में उपलब्धियां आदि) के साथ आवेदन निदेशक, खेल को प्रस्तुत किया जायेगा।

5– उल्लिखित सहायता स्वीकृत करने हेतु कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :–

1.	निदेशक, खेल, उत्तराखण्ड	–	अध्यक्ष
2.	अपर/संयुक्त निदेशक, खेल, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
3.	प्रधानाचार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून	–	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी, खेल निदेशालय	–	सदस्य
5.	खेल विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित अधिकारी	–	सदस्य

6– कमेटी की बैठक प्रत्येक वर्ष में छमाही आधार पर आहूत की जायेगी।

7– यह वित्तीय आर्थिक सहायता निम्न आधारों पर समाप्त की जा सकती हैं :–

(1) यदि सहायता प्राप्त करने वाले खिलाड़ी की निजी संसाधनों से होने वाली आय निर्धारित सीमा से अधिक हो जाय।

(2) सहायता प्राप्त करने वाले खिलाड़ी यदि स्वयं लिखित नोटिस देकर सहायता का परित्याग कर दे, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के माह से आर्थिक सहायता रोक दी जायेगी।

(3) सहायता प्राप्त करने वाले खिलाड़ी की मृत्यु हो जाने पर।

(4) कमेटी के संज्ञान में यदि सहायता प्राप्त करने वाले खिलाड़ी की पात्रता हेतु अनर्हता का बिन्दु प्रमाणिक रूप से सामने लाया जाय।

(5) सहायता प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के द्वारा अपनी मासिक आय का विवरण वार्षिक आधार पर देते हुये नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने पर।

8– निदेशक, खेल, प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत लाभाविन्त खिलाड़ियों/पहलवानों को दी जा रही सहायता एवं योजना से संबंधित अन्य बिन्दुओं की प्रगति आख्या पर शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराते रहेंगे एवं वित्तीय वर्ष के अन्तिम में विस्तृत सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

9– यह शासनादेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–249(P)/XXVII(3)/2016–17, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सूर्य मोहन नौटियाल)
अपर सचिव।

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\August 2015\finance dec 2015\g.o.docx